

उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा), गिरिडीह ।

कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1453/पं0 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गिरिडीह जिले के सभी ग्राम पंचायतों के लिए 26 (02 प्रति प्रखण्ड की दर से) कनीय अभियंता एवं 119 (प्रत्येक तीन पंचायत पर एक) लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया है, जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है । विभागीय अधिसूचना सं. 689 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के 10 प्रतिशत राशि से ग्राम पंचायतों के लिये संविदा पर नियुक्त होने वाले कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए मासिक मानदेय निम्नवत निर्धारित की गई है:-

क्र०	पद का नाम	मासिक मानदेय
1	2	3
1	कनीय अभियंता	17,000/-
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	10,000/-

सृजित पद के विरुद्ध कनीय अभियंता के 02(दो) पद एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के 36(छत्तीस) पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(1) कनीय अभियंता :

क-आरक्षण :

कुल रिक्त पदों की सं.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनारक्षित पदों की सं.
02	00	02	00	00	00

ख-शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता ।

(ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता ।

ग-उम्र सीमा : कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी ।

नोट:-आवेदकों के उम्र की गणना हेतु दिनांक 01.12.2016 की तिथि को Cutt Off Date निर्धारित किया गया है ।

घ-नियुक्ति की प्रक्रिया :

- जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी ।
- नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के अंकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा ।

(2) लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क-आरक्षण :

कुल पदों की सं.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनारक्षित पदों की सं.
36	14	14	08	00	00

04.02.17

ख-शैक्षणिक योग्यता :

- (i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0(गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0(गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
- (ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

ग. उम्र सीमा :

लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा निम्नवत् रहेगी:-

- (i) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए : 37 वर्ष
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए : 40 वर्ष

नोट:-आवेदकों के उम्र की गणना हेतु दिनांक 01.12.2016 की तिथि को Cutt Off Date निर्धारित किया गया है।

घ. नियुक्ति की प्रक्रिया :

- I. जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।
- II. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के अंकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा।

कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की शर्तें:-

क. सामान्य शर्तें :

1. कनीय अभियंता के लिये केवल अनुसूचित जनजाति का पद रिक्त है, अतः केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। अन्य किसी कोटि के अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
2. लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग(BC-1) का पद रिक्त है, अतः केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग(BC-1) के अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। अन्य किसी कोटि के अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आवासीय/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो नियोजन अथवा सभी कार्यों के संदर्भ में निर्गत हो एवं जाति प्रमाण पत्र जो नियोजन अथवा सभी कार्यों के संदर्भ में निर्गत हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. चूंकि केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाना है, अतः केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। यदि झारखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
5. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
6. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
7. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।
8. उच्चतर योग्यता एवं अनुभव के निर्धारण से संबंधित विवरणी गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Dw
04.02.17

S
11/11/17

ख. मूल्यांकन :

I. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	दक्षता परीक्षा		योग
			विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	10	10	20	10	100

II. कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा, यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

ग. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

I. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

II. आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत होगा:-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	300/-	अनुसूचित जनजाति के लिए
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

III. आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायगा जो गिरिडीह जिला में भुगतान हो।

IV. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

V. आवेदन पत्र उपायुक्त, गिरिडीह को सम्बोधित निबंधिक डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही समर्पित किये जायेंगे एवं आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.02.2017 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार पता तथा आवेदित पद का नाम साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

VI. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/अधूरा भरा आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

घ. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत होगी :-

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

(ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत

Dr
04.02.17

2

पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे । परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मि को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा ।

(v) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी ।

(vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी ।

(vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा । कर्मि को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा ।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा ।

(ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा ।

Eo/-

उपायुक्त, गिरिडीह ।

ज्ञापांक...162.../जि0पं0 दिनांक...08-02-17...

प्रतिलिपि:—जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को इस सूचना की सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपि:—जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित । निर्देश है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति एवं संलग्न आवेदन पत्र के प्रपत्र को गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.giridih.nic.in पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपि:—उप विकास आयुक्त, गिरिडीह/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह/कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमण्डल विभाग, गिरिडीह/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला लेखा पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:—सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त, गिरिडीह ।